राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1442/2008/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उडनदस्ता–चतुर्थ, राजस्थान, जयपुर। ....अपीलार्थी

बनाम

मै0 अली पुत्र रिहदार,
ग्राम गण्डोरी, फिरोजपुर, गुडगांव, हरियाणा। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से

प्रत्यर्थी बावजूद अखबार प्रकाशन सूचना के अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 19/04/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), प्रथम वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 287/आरएसटी/एनआरडी/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता–चतुर्थ, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2004 के द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 78(8) के तहत् आरोपित शास्ति राशि रूपये 1,02,102/– को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 25.04.2004 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वाहन संख्या आरजे14–1जी/4887 को चैक किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांगने पर माल प्रभारी/वाहन चालक ने परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेजात् प्रस्तुत किये, जिसकी जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि दस्तावेजों में दर्ज माल परिवहनित माल से भिन्न् एवं अधिक है। इस पर कर निर्धारण अधिकारी ने मिथ्या दस्तावेजों के जरिये माल परिवहन में वाहन चालक की मिली भगत मानते हुए वाहन चालक को अधिनियम की धारा 78(8) के तहत् कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसकी पालना में वाहन चालक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने शास्ति राशि रूपये 1,02,102/– का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 26.10.2007 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. राजस्व पक्ष की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी बावजूद सूचना जरिये अखबार प्रकाशन के अनुपस्थित रहा।

लगातार.....2

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. राजस्व पक्ष की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वक्त जांच कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माल प्रभारी/वाहन चालक से माल के संबंध में पूछने पर उसके द्वारा माल के संबंध में सही जानकारी नहीं दी गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माल का भौतिक सत्यापन करने पर उन्होंने पाया कि परिवहनित माल दस्तावेजों में अंकित माल से भिन्न एवं अधिक मात्रा में है। इस प्रकार माल प्रभारी/वाहन चालक द्वारा व्यवहारियों के कर चोरी में सहयोग प्रदान किया गया, जो कि अधिनियम की धारा 78(2)(डी) का स्पष्ट उल्लंघन है। अधिनियम की धारा 78(2)(डी) निम्न प्रकार से है–

Section 78. Establishment of checkpost and inspection of goods while in movement

(2) The driver or the person in charge of a vehicle or carrier of goods in movement shall –

(d) give all the information in his possession relating to the goods;

6. इस प्रकार अधिनियम की धारा 78(2)(डी) से स्पष्ट है कि माल प्रभारी/वाहन चालक ने परिवहनित माल से संबंधित पूर्ण जानकारी होते हुए भी कर निर्धारण अधिकारी को नहीं देकर व्यवहारी द्वारा किये जा रहे करापवंचन में अपनी सहभागिता दर्शायी है। स्वयं वाहन चालक ने अधिनियम की धारा 78(8) के नोटिस के जवाब की पालना में लिखित में स्वीकार किया है कि उसका करवंचना की नियत से माल परिवहन करने में सहभागिता रही है। वाहन चालक ने यह तथ्य भी स्वीकार किया है कि माल से संबंधित समस्त जानकारी यथा वाहन में माल कहां से भरा गया है, दस्तावेजों से संबंधित फर्म (माल भेजने वाला एवं माल पाने वाला) का अस्तित्व में नहीं होना, की जानकारी एवं तथ्य उसने जानबूझकर छुपाये है और कर निर्धारण अधिकारी को करवंचना की नियत से सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किये है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी के धारा 78(8) के तहत् नोटिस देने में पश्चात् वाहन चालक ने लिखित में स्वीकार किया है कि वह अपनी गलती स्वीकार करता है तथा शास्ति जमा करवाना चाहता है। उक्त पत्र कर निर्धारण पत्रावली के पृष्ठ संख्या 5 पर है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने (2009) 25 टीयूडी 20 राजेन्द्र इलेक्ट्रीकल्स बनाम एसीटीओ वार्ड I जालौर के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि लिखित में अपराध स्वीकार करने के बाद आरोपित शास्ति विधिसम्मत है। रेकॉर्ड पर उपलब्ध उपरोक्त समस्त तथ्यों की जांच किये बिना ही अपीलीय अधिकारी ने शास्ति अपास्त की है, जो विधिसम्मत नहीं है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 26.10.2007 अपास्त करते हुए, कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 10.11.2004 की पुष्टि की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य